



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15927

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1726/2026

इंद्रजीत

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: राहुल वर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिन की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों की श्रेणी में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), जिला आजमगढ़ को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाने (Implead) की अनुमति दी जाती है।
2. लेखपाल द्वारा दिनांक 27.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 3814/2024, कंप्यूटर वाद संख्या टी202415060303814 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् तहसीलदार, तहसील-फूलपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा दिनांक 28.04.2025 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त से व्यथित होकर, संहिता, 2006 की धारा 67 की उप-धारा (5) के तहत प्रावधानित वैधानिक अपील याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसे वाद संख्या 3159/2025, कंप्यूटर वाद संख्या डी202515060003159 के रूप में अंकित किया गया था, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), आजमगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वैधानिक अपील प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 28.04.2025 की आड़ में जिला अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं।
4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही निस्तारित किया जा रहा है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 5 को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपील का निर्णय शीघ्रता से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के करें। याचिकाकर्ता को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वह कार्यवाही में सहयोग करे और अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

7. चार महीने की अवधि के लिए या अपील का निर्णय होने तक, जो भी पहले हो, आदेश दिनांक 28.04.2025 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"